12/7/21

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप0 ओमाराम रिपोर्ट प्राप्त, प्रार्थी को मौके नामित निशान नामित प्राप्त नहीं, तहसीलदार निशानदार को निर्देश पत्र मूल प्र. पत्र 251-ए पर काश्त दुरुस्ती जावे। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 27.7.21 को पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

27.7.21

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप0 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत विवेचन पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर घोषित किया जावेगा। पत्रावली मिसल शुमार खारिज कर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

1. <u>आत्यंतिक आवश्यकता न केवल सुविधा</u> :–

दौराने बहस प्राथी ने दावा किया की उसकी कृषिगत आवश्यकताओं को मध्य नजर रखते हुए उसके द्वारा चाहा गया रास्ता की, हमें आंत्यतिक आवश्यकता है। हस्तगत पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार खींवसर से प्राप्त रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे से भी यह ताईद होता है की प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही सरल एवं सुगम है और प्रार्थी को इस रास्ते की निन्तांत आवश्यकत्ता है।

2. <u>अन्य वैकल्पिक साधनो का अभाव</u> :–

प्रार्थी ने जरिये प्रा.पत्र एव विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अपने खेताय तक पहुँचनें के लिये उसके पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार खींवसर से प्राप्त मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अवलोकन से प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है । और प्रश्नगत रास्ता ही एक मात्र रास्ता है।

3. <u>प्रश्नगत रास्ता निकटतम होना चाहिये</u> :–

प्रश्नगत रास्ता निकटतम एवं सरल, सुगम होना चाहिये, प्रश्नगत रास्ता सरल, सुगम, एवं उपयुक्त है जो तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट से साबित होता है । रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास निकटतम रास्ता है मगर वो सरल, सुगम, एवं उपयुक्त नहीं है प्रश्नगत रास्ता ही उपयुक्त रास्ता है यह कथन तहसीलदार खींवसर ने उक्त अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट दर्शाया है की उक्त प्रश्नगत रास्ता ही सरल, सुगम एवं उपयुक्त है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपयुक्त नहीं है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजात एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया । जिससे यह सुस्पष्ट होता है की प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी के पास स्थायी रास्ता नहीं है तथा इस रास्ते की ही नितांत आवयश्कता है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा का गहनता पूर्वक अध्ययन करने से यह भी स्पष्ट रूप से ताईद होता है की प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य सरकारी भूमि से रास्ता नहीं निकलता है तथा प्रस्तावित रास्ता चालू है

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ की प्रार्थी को उक्त रास्ते की नितान्त आवश्यकता है प्रश्नगत रास्ता सरल, सुगम, उपयुक्त रास्ता है और यही अन्तर्गत धारा 251 अ की मशां है तथा प्रभावित रकबे के खातेदारों की उक्त रास्ता दिये जाने में आपसी सहमति भी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का उक्त आवेदन अन्तर्गत धारा 251 अ स्वीकार करने योग्य होने की वजह से स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिये जाते है कि :–

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नबंर 596 में आने जाने के रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नबंर ख.न. 1588/593 में से रकबा 0.15 बिश्वा, ख.न. 601/1051 में से रकबा 0.10 बिश्वा, ख.न. 601/1052 में से रकबा 0.11 बिश्वा, ख.न. 601 में से रकबा 0.12 बिश्वा, एवं ख.न. 601/1053 में से रकबा 0.14 बिश्वा, राजस्व रिकार्ड में मार्क अ से जै अनुसार 15 फुट चौड़ा रास्ता आम सहमति से घोषित किया जाता है। उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन उपरोक्ता अनुसार किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम करने हेतु तहसीलदार खींवसर को आदेश दिये जाते है।

इस प्रकार उक्त राशि का भुगतान कर उक्त आदेश की पालना की जानी है। <u>उक्त रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा।</u>

राजकेश मीना RAS
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

मिलान किया, सही पाया गया

प्रमाणित प्रतिलिपि

उक्त निर्णय आज दिनांक : 27.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (SDO)
खींवसर (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)